The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481] No. 481] नई दिल्ली, शक्रवार, अगस्त 28, 2009/भाद 6, 1931

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2009/BHADRA 6, 1931

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(ई एम अनुभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

अधिसूचना

मुम्बई, 28 जुलाई, 2009

सं. फेमा. 196/2009-आरबी

विदेशी पूदा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2009

सा.का.नि. 609(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:---

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली 2009 कहलाएंगे।
 - (ii) ये सितम्बर, 2006 के छठे दिन से लागु समझे आएंगे।
- 2. विनियम 7 में संशोधन,--मूल विनियमावली के विनियम 7 में, उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु:
- "(1) भाग I में विनियमों के अधीन, भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र में लगी हुई कोई भारतीय पार्टी भारत से बाहर किसी कम्पनी में निवेश कर सकती है:

बशतें कि भारतीय पार्टी ने

- पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा कार्यों से निवल लाभ अर्जित किया हो:
- वित्तीय सेवाओं के कार्य करने हेतु भारत में विनियामक (ii) प्राधिकरण के पास पंजीकृत हों:
- ऐसे वित्तीय सेवा कार्यों के लिए भारत और विदेश (iii) दोनों स्थानों में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त किया हो;
- (iv) भारत स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकशील मानदंडों को पूरा किया हो।"

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-जिल्द IV] सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 सरकारी राजप्रत्र में दिनांक 19 नवंबर, 2004 को संसाकानि, 757(अ) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चातः.

सा.का.नि. 220(अ), दिनांक 7 अप्रैल, 2005 सा.का.नि. 337(अ), दिनांक 27 मई, 2005 सा.का.नि. 552(अ), दिनांक 31 अगस्त, 2005 सा.का.नि. 535(अ), दिनांक 6 सितम्बर, 2006 सा.का.नि. 13(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2008 सा.का.नि. 209(अ), दिनांक 25 मार्च, 2008 सा.का.नि. 676(अ), दिनांक 24 सितम्बर, 2008 सा.का.नि. 756(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 2008 सा.का.नि. 108(अ), दिनांक 20 फरवरी, 2009 सा.का.नि. 301(अ), दिनांक 1 मई, 2009 सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 23 जून, 2009 के द्वारा संशोधित किए गए है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(EM Section)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th July, 2009

No. FEMA 196/2009-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Fourth Amendment) Regulations, 2009

G.S.R. 609(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA. 120/RB-2004 dated July 7, 2004), namely:—

- 1. Short Title and Commencement:—(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Fourth Amendment) Regulations, 2009.
- (ii) These Regulations shall be deemed to have come into effect from the 6th day of September, 2006.
- 2. Amendment of Regulation 7—In the principal Regulations, in Regulation 7, for the sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:
- "(1) Subject to the Regulations in Part I, an Indian Party engaged in financial services sector in India may make investment in an entity outside India:

Provided that the Indian party

- (i) has earned net profit during the preceding three financial years from the financial services activities;
- (ii) is registered with the regulatory authority in India for conducting the financial services activities:
- (iii) has obtained approval from the concerned regulatory authorities both in India and abroad, for venturing into such financial sector activity;
- (iv) has fulfilled the prudential norms relating to capital adequacy as prescribed by the concerned regulatory authority in India."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note:

(i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004 were published in the Official Gazette vide No. G.S.R.757 (E), dated

November 19, 2004 and subsequently amended vide No. G.S.R. 220 (E), dated April 7, 2005 and vide,

G.S.R. 337 (E), dated May 27, 2005,

G.S.R. 552 (E), dated August 31, 2005,

G.S.R. 535 (E), dated September 6, 2006,

G.S.R. 13 (E), dated January 5, 2008,

G.S.R. 209 (E), dated March 25, 2008,

G.S.R. 676 (E), dated September 24, 2008,

G.S.R. 756 (E), dated October 31, 2008,

G.S.R. 108(E), dated February 20, 2009

G.S.R. 301(E), dated May 1, 2009

G.S.R. 441 (E), dated June 23, 2009

शुद्धि-पत्र

मुम्बई, 28 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 610(अ).—िदनांक 5 जनवरी, 2008 के सं. सा. का.नि. 13(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय के 9 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना सं. फेमा., 164/2007-आरबी में,

- (i) विनियमावली शीर्षक में, '2007' आंकड़ा को '2008' आंकड़ा से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) विनियमावली के संक्षिप्त नाम में, '2007' आंकड़ा को '2008' आंकड़ा से प्रतिस्थापित किया जाएगा। उपर्युक्त के अनुसार यथा परिशोधित और संशोधित, मूल विनियमावली पूर्णत: लागू और प्रभावी बनी रहेगी ।

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-जिल्द IV] सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

CORRIGENDUM

Mumbai, the 28th August, 2009

G.S.R. 610(E).—In the Notification No. FEMA .164/2007-RB, dated October 9, 2007 of Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide No. G.S.R.13(E), dated January 5, 2008,

- (i) in the title of the Regulations, for the figures '2007' the figures '2008' shall be substituted,
- (ii) in the short title of the Regulation, for the figures '2007' the figures '2008' shall be substituted.

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV] SALIM GANGADHARAN, Chief General

Manager-in-Charge

श्चि:-पत्र

मुम्बई, 28 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 611(अ).—दिनांक 25 मार्च, 2008 के सं. सा.का.नि. 209(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय के 19 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. फेमा, 173/2007-आरबी में,

- (i) विनियमावली के शीर्षक में, '2007' आंकड़ा को '2008' आंकड़ा से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) विनियमावली के संक्षिप्त शीर्षक में, '2007' आंकड़ा को '2008' आंकड़ा से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

उपर्युक्त के अनुसार यथा-परिशोधित और संशोधित, मूल विनियमावली पूर्णत: लागू और प्रभावी बनी रहेगी ।

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-जिल्द IV]

सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

CORRIGENDUM

Mumbai, the 28th August, 2009

G.S.R. 611(E).—In the Notification No. FEMA.173/2007-RB, dated December 19, 2007 of Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 209(E),dated March 25, 2008,

- (i) in the title of the Regulations, for the figures "2007" the figures '2008' shall be substituted,
- (ii) in the short title of the Regulations, for the figures '2007' the figures '2008' shall be substituted.

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in Charge

शुद्धि-पत्र

मुम्बई, 28 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 612(अ).—दिनांक 15 फरवरी, 2008 के सं. सा.का.नि. 91(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित भारतीय रिचर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय के 18 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. फेमा. 162/2007-आरबी में,

- (i) विनियमावली के संशोधनाधीन विनियम 2ए में, जहां कहीं आने वाले 'प्रतिभूति' शब्दों के लिए 'और प्रतिभृतियां' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ii) अधिसूचना को संलग्न सारणी 8 के पैराग्राफ सं. 1 में,
 'प्रतिभृति' शब्दों के लिए 'और प्रतिभृतियां' शब्द
 प्रतिस्थापित किया जाएगा।

उपर्युक्त के अनुसार यथा-परिशोधित और संशोधित, मूल विनियमावली पूर्णत: लागू और प्रभावी बनी रहेगी ।

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-जिल्द IV]

सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

CORRIGENDUM

Mumbai, the 28th August, 2009

G.S.R. 612(E).—In the Notification No. FEMA.162/2007-RB, dated September 18, 2007 of Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office published -in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 91(E) dated February 15, 2008,

- in the Regulation 2A under Amendment of the Regulations, for the word 'Security' wherever appearing, the words 'Securities and' shall be substituted;
- (ii) in paragraph No.1 of Schedule 8 annexed to the Notification, for the word 'Security' the words 'Securities and' shall be substituted.

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge